तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय,

भागलपुर - 812007

पत्रांक: Acc/1510-54 दिनांक: 16-06-2020

सेवा में,

1. विभागाध्यक्ष / विभागाध्यक्षा,
सभी स्नातकोत्तार विभाग,
ति० मां० भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर।

2. प्रधानाचार्य / प्रभारी प्राचार्य,
सभी अंगीभूत महाविद्यालय,
ति० मां० भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर।

विषय :– शिक्षकों को 01 जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2015 की अवधि में पी–एच०डी० उपाधि प्राप्त करने के फलस्वरूप Incentive के रूप में वेतन वृद्धि का लाभ देने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 17.02.2020 के वेतन निर्धारण समिति में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के 01 जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2015 की अवधि के बीच पी–एच०डी० उपाधि प्राप्त करने के फलस्वरूप Incentive अग्रिम वेतन वृद्धि देने पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि :–

"बिहार सरकार के संकल्प 15 / एम 1–2018 / 98 अंश(2) दिनांक 15.05.2018 के अनुसार 01.01.2006 के प्रभाव से लागू छठे वेतनमान में सेवाकाल में 01.01.2006 के बाद पी–एच०डी० उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि Non-Compounded देने का निर्णय लिया गया। यह वेतन वृद्धि उक्त पत्र के आलोक में 01.09.2008 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया। जिन शिक्षकों का पी–एच०डी० उपाधि 01.09.2008 के बाद प्राप्त हुआ है, उन्हें पी–एच०डी० उपाधि प्राप्त करने की तिथि से तीन वेतन वृद्धि प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में Course Work पंजीयन मूल्यांकन यदि विहित प्रक्रिया को पालन करते हुए पी–एच०डी० उपाधि प्राप्त करने पर यह निर्णय लिया गया कि – Course Work यहाँ 2013 में लागू किया गया है। अतः 2013 के पूर्व पी–एच०डी० उपाधि प्राप्त शिक्षकों के लिये Course Work की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय लिया गया कि 01 जनवरी 2006 के बाद सेवा काल में पी–एच०डी० उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षकों को छठे वेतनमान में उपर्युक्त आधार पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किया जाय।"

तद्नुसार आवश्यक अभिलेख पत्र निर्गत की तिथि से दस दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलबध करा दिया जाय, ताकि तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जा सके।

विश्वस्त

13/06/2020

(कर्नल अरूण कुमार सिंह)
कुलसचिव

10/06/2020